IV 334/09

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 800486

ट्रस्ट डीड

स्टाम्प शुल्क 600/- रुपये

हम कि श्रीमती शशिबाला गोस्वामी पत्नी आर॰ के गिरि निवासी 224/6 शास्त्री नगर मेरठ व राम किशोर गिरि एडवोकेट पुत्र राजे गिरि गोस्वामी नि॰ 224/6 शास्त्री नगर मेरठ जिन्हे आगे व्यवस्थापक/ न्यासीगण/ ट्रस्टीगण कहा गयाहै, व्यवस्थापकों की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य करने की है जिसके लिए व्यवस्थापकों ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय कियाहै ।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन 11000/- रुपये के एकमात्र स्वामी व अधिकारी है तथा व्यवस्थापक शिक्षा के लिए कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गयाहै, के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते है और उक्त उददेश्यो की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों ने उक्त राशि अंकन 11,000/- रुपये को इस उददेश्यो की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों ने उक्त राशि अंकन 11,000/- रुपये को, इस उददेश्य से हस्तांतरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को आगे दी गयी शक्तियो एवं प्राविधानो के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेंगे । उक्त व्यवस्थापकों ने

---2 पर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 237764

उक्त ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे है अत: व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते है और घोषणा करते है कि :-

1. यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम सेन्ट गिरि ऐजूकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट होगा।

2. यह कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय 224/6 शास्त्री नगर मेरठ होगा परन्तु ट्रस्टीगण को अधिकार होगा कि वो उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी सहमति से स्थानांतरित कर सकते है ।

3. यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन 11000/- रुपये जिसे आगे ट्रस्ट फन्ड कहा गया है तथा भविष्य मे ट्रस्ट की संपत्ति, नकद राशि, निवेश दान, ऋण अथवा अनुदान से प्राप्त संपत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टीगण को समय समय पर प्राप्त हो, को धारण करेंगे तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल संपत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियो तथा कर्तव्यो को प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेंगे ।

Shashi Bala

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 237763

4· यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट फन्ड तथा ट्रस्ट पूंजी तथा अन्य चल व अचल संपत्तियां शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओ व कार्यशालाओ की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेंगे तथा न्यासीगण को समय-समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उददेश्यो मे परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5· यह कि ट्रस्ट के उददेश्यो की पूर्ति के लिए न्यासीगणको समय- समय पर भूमि का ग्रहण अधिग्रहण सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओ, व्यक्तियो, संस्थाओ या विभागो से करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6· यह कि उपरोक्त उददेश्यो के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फन्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गये उददेश्यो मे से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा मे चाहे सर्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते है।

Sushi Bala

-- 4 पर

R.K[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 237762

{1} मेडिकल कालिज, डेन्टल कालिज एवं अस्पताल की स्थापना व संचालन करना ।

{2} इंजिनियरिंग कालिज की स्थापना व संचालन करना ।

{3} स्कूल, कालिज, तकनीकी एव फार्मा शिक्षण संस्थाओ की स्थापना व संचालन करना ।

सभी प्रकार के ग्रेजुवेशन व पोस्ट ग्रेजुवेशन प्रबन्धन आदि के शिक्षा संबन्धी सभी कोर्स हेतु कालिजो की स्थापना करना व संचालन करना ।

{4} विश्वविद्यालय, महाविद्यालय व प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना ।

{5} नर्सरी स्कूल, प्राईमरी स्कूल, राजकीय स्कूल व माध्यमिक स्कूल हिन्दी व इंगि लश मीडियम व अन्य सभी प्रकार के स्कूलो की स्थापना करना व संचालन करना ।

{6} शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना ।

— 5 पर

Shashi Bala

§7§· शैक्षिक किताबो, पेपर का प्रकाशन कराना, लाईब्रेरी , रीडिंग रूम तथा होस्टल आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।

§8§ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे आधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीक को बढावा देना तथा मानव जाति को इसके लिए जाग्रत करना ।

§9§· अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा समाज के सभी वर्गो के जरूरतमंद छात्र/छात्राओ के लिए छात्रवृत्ति व सहायता आदि प्रदान करना समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति प्राप्त करना तथा पात्र छात्र/ छात्राओ को छात्रवृत्ति देना ।

§10§ कृषि भूमि तथा जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना उन्हे क्रय-विक्रय करना, हस्तांतरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य करना ।

§11§ सरकार सहायता प्राप्त करना तथा सरकारी नोडल संस्था का बिजनेस प्रमोटर एवं मास्टर फ्रेन्चाईजी बनकर उसे बढाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापको, कर्मचारियो को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हे कम्प्यूटर खरीदकर देना एवं सर्विस प्रोवाईड करवाना ।

§12§ प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना, शहरो मे पेड लगाना, जिससे प्रदूषण कम हो, खाली पडी भूमि पर वृक्षारोपण करना, ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढे और अकाल कभी भी ना हो पाये ।

§13§ निरीह प्राणियो,पशु एवं पक्षियो की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिए चिकित्सालयो की स्थापना व व्यवस्था करना

§14§ स्कूल व कालिज मे छात्र/छात्राओ को पर्यावरण के लिए जाग्रति करने हेतु कार्यक्रम चलाना ।

§15§ अस्पताल, औषधालय, अनुसंधान शालाओ एवं रसायन शालाओ का संचालन एवं स्थापना करना ।

Shashi Bala

-- 6 पर

(16) समस्त मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना ।

(17) ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीक द्वारा करना ।

(18) ट्रस्ट की आय बढाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना, ट्रस्ट के लिए दान लेना एवं दान की रसीद देना ।

(19) वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो ।

7. यह कि न्यास/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारत वर्ष होगा ।

8. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फन्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथाजिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर मे कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यो के लिए व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

9. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फन्ड या उसके किसी भाग अथवा भागो को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझे, उपरोक्त उनके कार्यो मे से एक या अधिक पर व्यय कर सकते है ।

10. यह कि ट्रस्टीयो का अधिकार ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की संपत्ति पर होगा तथा उक्त ट्रस्टीयो की मृत्यु के बाद उनकी संतानो का अधिकार ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की संपत्ति पर होगा। ट्रस्टी/व्यवस्थापको को यह अधिकार होगा कि वह अपना उत्तराधिकारी वसीयत के अनुसार निश्चित कर सके। ट्रस्टी सदस्यो के मरणोपरान्त उस वसीयत के अनुसार ही ट्रस्टी उस उत्तराधिकारी को ट्रस्ट मे सदस्य बनायेंगे । अध्यक्ष व सचिव के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का ट्रस्ट या ट्रस्ट की संपत्तियो पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर किसी भी प्रकार का अधिकार नही होगा।

Shashi Bala

-- 7 पर

11· यह कि प्रत्येक न्यासी/ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारियो का नामांकन कराया जायेगा जो कि उक्त न्यासी/ट्रस्टी की मृत्यु होने पर या अक्षम अथवा अनुपयुक्त होने पर उक्त न्यासी/ट्रस्टी के स्थान पर न्यासी/ट्रस्टी होगा तथा नवनियुक्त ट्रस्टियो को सतद्वारा नियुक्त ट्रस्टियो के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा।

12· यह कि व्यवस्थापको/ट्रस्टी ने ट्रस्ट को सुचारु रुप से संचालन करने हेतु अपने मे से अध्यक्ष एवं सचिव नियुक्त कर लियाहै । अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट को सुचारु रुप से संचालन करने के लिए नये ट्रस्टी बनाने व उनको पद देने का अधिकार होगा तथा अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट को सुचारु रुप से संचालन करने के लिए ट्रस्ट के पदाधिकारी बनाने का अधिकार होगा। अध्यक्ष व सचिव का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा बाकी पदाधिकारियो का कार्यकाल एक वर्ष का होगा तथा समय से पहले भी अध्यक्ष एवं सचिव बाकी पदाधिकारियो को उनके पद से हटा सकते है निर्वमान पदाधिकारियो का पुनः चयन हो सकता है ।

13· यह कि श्रीमती शशि बाला गोस्वामी उपरोक्त ट्रस्ट की प्रथम अध्यक्ष व श्री राम किशोर गिरि एडवोकेट प्रथम सचिव होगे अन्य ट्रस्टी सदस्योको पद एवं अधिकार अध्यक्ष व सचिव आपसी सहमति से आवंटित करेंगे । श्री राजे गिरि पुत्र स्व· भजन गिरि व श्रीमती रामवति पत्नी राजे गिरि , राजेन्द्र गोस्वामी पुत्र देवीशरण गोस्वामी, एल 264 शास्त्री नगर मेरठ जितेन्द्र गिरि पुत्र राजेन्द्र गिरि 166/6 शास्त्री नगर मेरठ; सतीश गिरि पुत्र राजे गिरि नि· 173 रामबाग सूरज कुंड मेरठ उक्त ट्रस्ट के सदस्य तथा मीनाक्षी गोयल एडवोकेट 373/7 जागृति विहार मेरठ प्रथम कोषाध्यक्ष होंगे ।

14· यह कि पदाधिकारियो के निम्न कर्तव्य व दायित्व होंगे :-

अध्यक्ष :- ट्रस्ट की सभी बैठको की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारु रुप से संचालन करने के लिए सचिव को निर्देश एवं सहयोग प्रदान करना ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही करना ।

उपाध्यक्ष:- अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे अध्यक्ष के कार्य करना।

सचिव:- ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्य रूप में परिणित करना ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारु रूप से संचालित करना। सभी बैठकों को समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण, बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिखा अध्यक्ष से सत्यापित कराना अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिए उसकी नकल सभी ट्रस्टियों को भेजना, ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना। ट्रस्ट की सभी चल व अचल संपत्तियों का पूर्ण विवरण रखा उनकी सुरक्षा करना।

उपसचिव:- सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्य करना।

कोषाध्यक्ष:- ट्रस्ट की समस्त आय व्यय का हिसाब रखना व उसको आडिट कराना। ट्रस्ट की समस्त व्यय जो कि सचिव द्वारा सत्यापित हो उनको अनुमोदित कर भुगतान कराना। ट्रस्ट के खातों का संचालन संयुक्त रूप से अध्यक्ष व सचिव द्वारा होगा।

15. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे- न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से संबन्धित लेन-देन, निर्माण, मान्यता, सम्बद्धता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेंगे। किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपात कालीन समस्या के लिए आपात कालीन बैठक कर अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी एवं सर्वसम्मति से निर्णय होने के उपरान्त अध्यक्ष अपना आदेश प्रदान करेंगे।

16. यह कि ट्रस्टीगण समय-समय पर सामाजिक, धार्मिक, परमार्थिक कार्यों के प्रबन्ध एव संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं या उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्धक समिति तथा उसके कार्यकाल नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्धक समिति को संबन्धित कार्यों, उद्देश्यों, के संचालन व पूर्ति के लिए जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझ से प्रदान करने की शक्ति होगी।

Shashi Bala

--9 पर

BSAd

साधारणतः ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव, व कोषाध्यक्ष ही उक्त समस्त प्रबन्ध समितियो के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष होंगे ।

17· यह कि प्रत्येक ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामांकन अपनी पत्नी या बच्चो या कानूनी वारिसो मे से किसी एक का अपनी इच्छानुसार करने का अधिकार होगा । यदि किसी कारणवश ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामांकन नही किया गया तो उक्त ट्रस्टी का सबसे बडा पुत्र या उसका कानूनी उत्तराधिकारी उक्त ट्रस्टी के स्थान पर ट्रस्टी होगा तथा नवनियुक्त ट्रस्टी को स्वतद्वारा नियुक्त ट्रस्टी के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा।

18· यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा । ट्रस्ट के नाम नियम एवं उद्देश्यो मे परिवर्तन करने का अधिकार भी अध्यक्ष व सचिव को होगा।

19· यह कि ट्रस्ट की बैठक साल मे कम से कम एक बार अध्यक्ष अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय मे होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहां ट्रस्टीगण उचित समझे, बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा ।

20· यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टीयो की संख्या का 1/3 अथवा किन्ही तीन ट्रस्टीयो का जो भी अधिक हो, होगा । यदि कोरम के अभाव मे सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि, समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणो को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा । स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नही हो सकती । ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्यो मे अध्यक्ष एवं सचिव की सहमति लेनी अनिवार्य होगी ।

21· यह कि उक्त व्यवस्थापको को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओ से अपने तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उक्त व्यवस्थापको की मृत्यु के बाद इनकी संतान अथवा कानूनी वारिस पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी

— 10 पर

होंगे । उक्त व्यवस्थापकों की मृत्यु के बाद इनकी सन्तान अथवा कानूनी वारिस पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा ।

22. यह कि सभी संबन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि, संपत्ति व प्रतिभूतियों के लिए उत्तरदायी होंगे तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैंकर, दलाल, ऐजेन्ट, अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ मे ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियां आदि रखी गयी है और उनके द्वारा किये गये कार्यो से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर परन्तु व उनके द्वारा जानबूझकर की गयी चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण ना हुआ हो, तो ट्रस्टीगण उसके लिए व्यक्तिगत उत्तरदायी नही होंगे ।

23. यह कि ट्रस्टीगण को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यों से संबन्धित कार्य हेतु किसी भी ऐजेन्ट जिसमे बैंक भी शामिल है को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण मे निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

24. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, सेविंग बैंक खाता, ओवरड्राफ्ट खाता, व सभी प्रकार के बैंकिंग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिंग का व्यवसाय करती हो, मे खोल सकते है । उक्त सभी बैंकिंग एकाउन्ट खातों व अन्य सभी बैंकिंग खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा होगा।

25. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चों का तथा ट्रस्ट फन्ड एवं ट्रस्ट की संपत्तियों का संपूर्ण उचित तरीके से बाजाब्ता हिसाब रखेंगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेंगे जो कि अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसका आडिट चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा कराया जायेगा ।

Shashi Bala

--11 पर

26. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियो से संस्था, अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिक कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।

27. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु कहीं भी चल अचल संपत्ति किन्ही भी शर्तों पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करें तथा ट्रस्ट के उद्देश्यो के विपरीत न हो, को प्राप्त करने व धारण करने चाहे पूर्ण स्वामित्व मे हो, या लीज पर हो या किराये पर हो, या किसी अन्य तरीके से प्राप्त करने, विक्रय करने, किराये पर देने, हस्तांतरण करने, तथा अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा। परन्तु ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के नाम से तथा उद्देश्यो से रिक्त होने का अधिकार नही होगा।

28. यह कि ट्रस्ट फन्ड मे सम्मिलित किसी राशि, संपत्तियो या अस्तियो या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डो मे सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राईवेट सौंपदा, द्वारा सशर्त अथवा बिना शर्त विक्रय करना, क्रय करना, किसी विक्रय अथवा पुन: विक्रय की सौंपदा मे परिवर्तन करने तथा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टीगण उसमे हुई किसी हानि के जिम्मेदार नही होंगे ।

29. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए समय समय पर व्यक्तिगत, वित्तीय संस्थाओ, एवं बैंक आदि से उधार / ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा । अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट की संपत्तियो को बन्धक रखकर ट्रस्ट के उद्देश्य के लिए उधार/ऋण बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के लाभ के लिए ट्रस्ट की संपत्ति को विक्रय करने का अधिकार भी होगा । इन सभी कार्यो को करने का अधिकार अध्यक्ष व सचिव को होगा।

30. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यो के लिए ट्रस्ट की संपत्तियो/परिसंपत्तियो को किराये पर देने व सभी प्रकार के शेयरो, ऋणपत्रो व अन्य प्रतिभूतियो मे निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

Shashi Bala

--12 पर

31. यह कि स्वयंद्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने मे असमर्थ होंगे तो ट्रस्ट की सभी संपत्तियो, परिसंपत्तियो को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियो का भुगतान करने के पश्चात ट्रस्ट का विघटन कर सके है तथा इसके पश्चात जो भी लाभ या हानि होगी, वह ट्रस्टीगण द्वारा वहन किया जायेगा।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापक-ट्रस्टीगण ने अपने अपने हस्ताक्षर किये।

Shashi Bala

मुकिर श्रीमती शशिबाला गोस्वामी के दोनो हाथ की उंगलियों के निशानात

मुकिर श्री राम किशोर गिरि एडवोकेट के दोनो हाथ की उंगलियो के निशानात

तहरीर तारीख 27-7-2009 मसौदा एम. के. गोयल एडवोकेट व टाईपकर्ता प्रमोद कुमार।

M. K. Goyal
Advocate

8

आज दिनांक 27/07/2009 को

वही सं 4 जिल्द सं 368

पृष्ठ सं 1 से 24 पर क्रमांक 334

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

(अजय कुमार त्रिपाठी)
सब रजिस्ट्रार (प्रथम),
मेरठ।
27/7/2009